



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

94-2015/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MAY 29, 2015 (JYAISTHA 8, 1937 SAKA)

हरियाणा सरकार

प्रशासकीय सुधार विभाग

शुद्धि पत्र

दिनांक 29 मई, 2015

संख्या 7/31/2014-3ए०आर०.—सम क्रमांक से दिनांक 7 मई, 2015 को जारी अधिसूचना में क्रम संख्या 114-पर दिये शब्द वी०पी०एल० को बी०पी०एल० एवं शब्द ए०एफ०एस०पी०ओ० को ए०एफ०एस०ओ० पढ़ा जाये।

डी० एस० देसी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT
ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

Corrigendum

The 29th May, 2015

No. 7/31/2014-3AR.—In the Notification issued *vide* even No. dated 7th May, 2015 the word AFSP0 (at serial No. 114) may be read as AFSO.

D. S. Dhesi,
Chief Secretary to Government Haryana.

हरियाणा सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 मई, 2015

सख्या 3/7/2015-1एच0बी0II.—औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (केन्द्रीय अधिनियम 1940 का 23), धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, सम्पूर्ण हरियाणा राज्य के लिए नीचे वर्णित मुद्दों के संबंध में श्रीमती पूनम चौधरी, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, श्रीमती ममता पाहूजा, वरिष्ठ विश्लेषक सहायक, श्रीमती मोनिका, वरिष्ठ विश्लेषक सहायक, श्री मनोज, केमिस्ट कार्यरत वरिष्ठ विश्लेषक सहायक और श्री पंकज शर्मा, केमिस्ट, राज्य औषधि प्रयोगशाला, हरियाणा, सैक्टर- 11डी, चण्डीगढ़ को राजकीय विश्लेषक (उनके अपने वेतनमान में) के रूप में नियुक्त करते हैं :-

1. सीरा और वैकसीन को छोड़कर औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945, की अनुसूची ग तथा ग (1) में विनिर्दिष्ट सभी जैव तथा अन्य विशेष उत्पाद जिसमें पेटेंट या सांपत्तिक औषधि भी शामिल हैं।
2. औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945, की अनुसूची ग तथा ग(1) में विनिर्दिष्ट जैव तथा अन्य विशेष उत्पाद से भिन्न औषधि जिसमें पेटेंट या सांपत्तिक औषधि भी शामिल है।
3. औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के अधीन यथावर्णित प्रसाधन सामग्री।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 15 मई, 2015.

राम निवास,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HEALTH DEPARTMENT

Notification

The 29th May, 2015

No. 3/7/2015-1HB-II.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 20 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (Central Act.23 of 1940). The Governor of Haryana hereby appoints Smt. Poonam Chaudhary, Senior Scientific Officer, Smt. Mamta Pahuja, Senior Analytical Assistant, Smt. Monika, Senior Analytical Assistant, Sh. Manoj, Chemist working against the post of Senior Analytical Assistant and Sh. Pankaj Sharma, Chemist, State Drug Laboratory, Haryana, Sector-11D, Chandigarh to be Government Analyst (in their own pay scale) for the whole of the State of Haryana, in respect of items described below:-

1. All biological and other special products including patent or proprietary medicines specified in Schedules C and C (1) of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, except Sera and Vaccines.
2. Drugs other than biological and special products specified in Schedules C and C(1) of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, including patent or proprietary medicines.
3. Cosmetics as mentioned under the Drugs and Cosmetics Rules, 1945.

Chandigarh:
The 15th May, 2015.

RAM NIWAS,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Health Department.

HARYANA GOVERNMENT**HEALTH DEPARTMENT****Notification**

The 29th May, 2015

No. 45/44/86- 5 HBII.— In exercise of the powers conferred by Sub-section 2 of the Epidemic Disease Act, 1897 and all other powers enabling him on this behalf, the Governor of Haryana is pleased to direct that the order dated 10th December, 1994 for the prevention of the spread of Jaundice issued *vide* Haryana Government endst. No. 45/44/86-5 HBII, dated 28th February, 2014 shall remain in force in the whole of the State of Haryana upto 31st December, 2015.

Chandigarh:
The 25th May, 2015.

RAM NIWAS,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Health Department.

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

शुद्धि पत्र

दिनांक 29 मई, 2015

संख्या ई0सी0ए07-2015/581.— हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 25 मार्च, 2015 में प्रकाशित हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग आदेश संख्या ई0सी0ए0-7-2015/445 की अनुसूची में क्रम संख्या 1 पर ग्राम पंचायत खेदड़ के खाना संख्या 6, 8 तथा 9 में अंक 8, 0 तथा 10 के स्थान पर क्रमशः 5, 1 तथा 9 अंक पढ़ा जाए।

नवराज सन्धु,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

शुद्धि पत्र

दिनांक 29 मई, 2015

संख्या ई0सी0ए02-2015/582.— हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 में प्रकाशित हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग आदेश संख्या ई0सी0ए0-2-2014/617 की अनुसूची में पृष्ठ संख्या 4047 पर खण्ड अलेवा में क्रम संख्या 5 पर खेड़ी बुलां के सामने खाना संख्या 7 व 8 में अंक 1 व 3 के स्थान पर 0 व 4 अंक पढ़ा जाए।

नवराज सन्धु,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

शुद्धि पत्र

दिनांक 29 मई, 2015

संख्या ई0सी0ए05-2015/583.— हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 मार्च, 2015 में प्रकाशित हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग आदेश संख्या ई0सी0ए0-5-2015/626 में, पृष्ठ संख्या 449 पर खण्ड मडलौडा के क्रम संख्या 5 में ग्राम पंचायत आसन खुर्द के सम्मुख खाना संख्या 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 में अंक 19, 7, 2, 1, 1 तथा 10 के स्थान पर अंक 8, 3, 1, 1, 1 तथा 4 पढ़ा जाये।

नवराज सन्धु,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

आदेश

दिनांक 29 मई, 2015

संख्या ई0सी0ए07-2015/584.—ग्राम पंचायत भोज कुदाना, भोज पौंटा, भोजकोटी, दाबसू तथा ठण्डोग के विभाजन के फलस्वरूप हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 13 नवम्बर, 2014 में प्रकाशित इस विभाग के आदेश संख्या ई0सी0ए07-2014/605 दिनांक 13 नवम्बर, 2014 के आंशिक संशोधन में हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11) की धारा 9 के साथ पठित, के अनुसरण में यह आदेश दिया जाता है कि जिला पंचकूला की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में, इसके द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव के प्रयोजनार्थ पंचों की ऐसी संख्या होगी जो नीचे दी गई अनुसूची के प्रत्येक के खाने के सामने खाना 4 से 9 के नीचे यथावर्णित है:—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र0 सं0	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल सीट	महिलाओं हेतु आरक्षित (अनुसूचित जाति की महिलाओं सहित)	अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित	खाना संख्या 6 में से अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु आरक्षित	पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित	अनारक्षित
1	मोरनी	भोज कुदाना	6	2	0	0	0	4
2	मोरनी	भोज पौंटा	7	3	0	0	0	4
3	मोरनी	भोजकोटी	7	3	1	1	0	4
4	मोरनी	दाबसू	6	2	2	1	1	2
5	मोरनी	ठण्डोग	6	2	1	1	0	4
6	मोरनी	टिक्कर	7	3	0	0	0	4
7	मोरनी	भोज दारड़ा	7	3	0	0	0	4
8	मोरनी	धारला	6	2	1	1	0	4

नवराज सन्धु,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

HARYANA GOVERNMENTSTATE ELECTION COMMISSION
NIRVACHAN SADAN, PLOT NO. 2, SECTOR 17, PANCHKULA**Notification**

The 29th May, 2015

No. SEC/2E-II/2015/5747.— In supersession of this Commission notification issued *vide* No. SEC/2E-II/2004/14088 dated 09.12.2004, the State Election Commissioner, Haryana in exercise of powers conferred by clause (1) of Article 243K of Constitution of India read with Section 212 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 and rule (2)(e) read with rule 15-A of the Haryana Panchayati Raj Election Rules, 1994 and all other powers enabling in this behalf delegates the powers to all the Deputy Commissioners-cum-District Election Officers(Panchayat) in the State to appoint any HCS Officer, District Revenue Officer, SDO (c) or any other senior officer at District Headquarter to perform the duty as District Electoral Officer for the preparation of voter lists for the conduct of the elections of Panchayati Raj Institutions.

Chandigarh :
The 29th May, 2015RAJEEV SHARMA,
State Election Commissioner, Haryana.**हरियाणा सरकार**

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 मई, 2015

संख्या 2/23/97-5 जे0जे01.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम 2), की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त उपधारा के प्रयोजन के लिए नीचे दी गई अनुसूची के खाना 2 में वर्णित व्यक्तियों, जिनके वर्तमान पदनाम उक्त अनुसूची के खाना 3 में दिए गए हैं, को लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं, अर्थात्:—

अनुसूची

क्रम संख्या	व्यक्तियों के नाम	वर्तमान पदनाम
1	2	3
1	श्री सतीश सैनी	उप महाधिवक्ता, हरियाणा
2	श्री दीपक कुमार	उप महाधिवक्ता, हरियाणा
3	श्री मुनीष देव शर्मा	उप महाधिवक्ता, हरियाणा
4	श्री करण शर्मा	उप महाधिवक्ता, हरियाणा

टिप्पणी : वे केवल तब तक लोक अभियोजक रहेंगे जब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं ।

पी०के० महापात्रा,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT
ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 29th May, 2015

No. 2/23/97-5JJ(1).- In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974), and after consultation with the Punjab and Haryana High Court, the Governor of Haryana hereby appoints the persons mentioned in column 2 of the Schedule given below whose present designation are given in column 3 of the said Schedule, to be Public Prosecutors for the purpose of the said Sub-section, namely:-

SCHEDULE

Serial Number	Name of Person	Present Designation
1	2	3
1	Sh. Satish Saini	Deputy Advocate General
2	Sh. Deepak Kumar	Deputy Advocate General
3	Sh. Munish Dev Sharma	Deputy Advocate General
4	Sh. Karan Sharma	Deputy Advocate General

Note:- They shall be Public Prosecutors only so long as they hold their offices.

P.K. MAHAPATRA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Administration of Justice Department.